<u>न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जिला–टीकमगढ (म.प्र.)</u>

<u>समक्ष– श्रीमती ज्योति राजपूत</u>

<u>जमानत आवेदन कमांक–576/22</u>

1– सलमान खान तनय रमजान खान उम्र 30 वर्ष,

2– जुलेखा पत्नि रमजान खान उम्र 52 वर्ष, निवासीगण–खरगापुर थाना खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..आवेदकगण/अभियुक्तगण

<u>बनाम</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र खरगापुर जिला–टीकमगढ़ म0प्र0

...अभियोजन

(<u>सत्यप्रतिलिपि आर्डरसीट दिनांक 14.10.2022</u>)

आवेदकगण / आरोपीगण द्वारा श्री अनिल त्रिपाठी अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्रीमती नर्मदांजलि दुबे उपस्थित।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. पर तर्क /केस डायरी हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र खरगापुर के अपराध कमांक 167/22 अंतर्गत धारा 366, 376(2)(एन), 506, 109 भा.दं.सं. एवं धारा 5एल/6, 17 पॉक्सो एक्ट एवं धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3 की केस डायरी मय विरोध प्रतिवेदन के पेश।

आवेदकगण / आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन धारा 438 दंप्रसं पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रकरण की पीडिता को जमानत आवेदन पर सुने जाने हेतु सूचना पत्र पीडिता को प्रेषित किया, उक्त सूचना पत्र के पालन में पीडिता की ओर से उसके सरंक्षक पिता उपस्थित, जिन्होंने जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति पेश की।

आवेदकगण / आरोपीगण की ओर से यह जमानत आवेदन पेश

कर यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दंप्रसं प्रस्तुत किया गया है अन्य कोई जमानत आवेदन मान्नीय उच्च न्यायालय में अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया। आवेदन में यह भी बताया गया है कि आवेदकगण को गिरफतार किये जाने की आशंका है। आवेदकगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। आवेदक निर्दोष है, उनके द्वारा अभिकथित अपराध कारित नहीं किया गया। प्रकरण में पीडिता ने लगभग चार पांच वर्ष पूर्व की घटना घटित होना बताया गया है तथा चार पांच वर्षों बाद प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। आवेदकगण द्वारा मुख्य आरोपी समीर का सहयोग किये जाने संबंधी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेंगे। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाये।

आवेदकगण / आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के समर्थन में शेख सिराजुद्दीन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन का विरोध व्यक्त करते हुये यह निवेदन किया है कि आरोपीगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा यदि आरोपीगण को अग्रिम जमानत दी गयी तो निश्चित रूप से वह साक्षीगण को प्रभावित करेंगे तथा उनके फरार होने की भी संभावना है। अतः आवेदन निरस्त किया जाये। आरक्षी केन्द्र खरगापुर के थाना प्रभारी ने भी इसी आशय का विरोध प्रतिवेदन पेश किया है।

पीडिता के पिता द्वारा आपत्ति पेश कर व्यक्त किया गया है कि आरोपी कई वर्षों तक पीडिता के साथ बलात्कार करते रहे तथा वीडियो बनाकर ब्लेकमेल करते रहे और सह आरोपीगण द्वारा सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते रहे और आरोपीगण का पूरा संगठन है जो धर्मांतरण जैसी प्रथा को बढावा देते है और नाबालिग लडकियों को अपना शिकार बनाते हैं तथा फरियादिया व उसके परिजनों को डराया धमकाया जा रहा है तथा राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि दिनांक 29.09.22 को पीडिता द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष

टाइपशुदा आवेदन पेश किया, जिसे खरगापुर थाने पर प्रेषित किया गया, उक्त आवेदन पर कार्यवाही हेतु पीडिता व उसके पिता को थाने पर आहूत किये जाने व पूछताछ करने पर पीडिता द्वारा उक्त आवेदन में आरोपी समीर उर्फ शीबू, जुलेखा खान, सलमान खान, टिंकू उर्फ हरिओम, जे.डी., राजवीर साहू, रजनी साहू के संबंध में यह कथन किया था कि वर्ष 2016 से समीर उर्फ शीबू उसका पीछा करता था और बहला फुसलाकर दोस्ती कर ली थी तथा घर पर बुलाकर उसके साथ गलत हरकतें करता था, जिसके बारे में उसकी मां जुलेखा तथा उसके भाई सलमान खान को बताने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी दोस्ती हो गयी है तुम दोनों शादी कर लो, मना करने पर समीर ने उन दोनों के साथ मिलकर अंदर के कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरजस्ती समीर उर्फ शीबू ने बलात्कार किया तथा इसके बाद आवेदक सलमान एवं जुलेखा ने अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी दी और अश्लील वीडियो तथा अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने व बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद से निरंतरता के क्रम में आरोपी समीर द्वारा उसे ब्लेकमेलिंग करते हुये लगातार बलात्कार किया और आवेदकगण उसके धर्म परिवर्तन करने और बच्चा पैदा करने का दबाव बनाते थे।

आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीडिता द्वारा वर्ष 2016 से अत्यंत विलंब से आवेदन पेश किया है तथा आवेदन प्रस्तुति दिनांक को आवेदिका की आयु 20 वर्ष है तब आवेदकगण के विरूद्ध असत्य आक्षेप लगाये जाने से वह जमानत पाने के अधिकारी है।

केस डायरी के अनुसार जिस प्रकार आवेदकगण ने मुख्य आरोपी समीर उर्फ शीबू को सहयोग पहुंचाते हुये पीडिता के साथ निरंतर अश्लील फोटो एवं वीडियो के आधार पर ब्लेकमेलिंग करते हुये लगातार बलात्कार करने हेतु दुष्प्रेरित किया है तथा धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव डाला। अतः प्रकरण में आवेदकगण की अपराध कारित करने में संलिप्तता दर्शित होती है, वहां आवेदकगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुये अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदकगण / आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जावे तथा संशोधित मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 117–ख के अनुसार जमानत आवेदन एवं पुलिस प्रतिवेदन की एक–एक प्रति आवेदक/आरोपी को प्रदान की जावे।

जमानत आवेदन का परिणाम संबंधित पंजी में अंकित कर, अभिलेखागार संचित किया जावे।

(श्रीमती ज्योति राजपूत)
विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012,
टीकमगढ़ (म0प्र0)

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. आदेश की प्रतिलिपि के साथ केस डायरी वापिस की जावे।
2. आदेश की प्रतिलिपि आवेदकगण/ आरोपीगण को प्रदान किये जाने हेतु।

(श्रीमती ज्योति राजपूत)
विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012,
टीकमगढ़ (म0प्र0)

JYOTI RAJPUT

Digitally signed by JYOTI RAJPUT
Date: 2022.10.14 17:44:05 +0530